

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक: F14 (13) (28) श्रम / कोरोना / विधे / चयन / 0495

जयपुर, दिनांक: 3 ⁵/₂₀

कार्यालय आदेश

विषय: कोरोना (COVID-19) महामारी के कारण लॉक डाउन की अवधि में अनुमति प्राप्त उद्योगों के संचालन में आ रही कठिनाई के बाबत नियोक्ता एवं श्रमिकों हेतु आवश्यक निर्देश ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोरोना (COVID-19) महामारी के कारण पूरे देश में लॉक डाउन की स्थिति जारी है, जिसके क्रम में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर निर्देश एवं एडवाइजरी जारी की गई है । इस संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा भी समय समय पर विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों/कारखानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा उपायों एवं ऐहतियात बरतते हुए कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है । इस सन्दर्भ में श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, दी एम्प्लायर्स एसोसियेशन ऑफ राजस्थान ने अपने पत्र दिनांक 2.5.2020 से अवगत कराया है कि अनुमत श्रेणी के उद्योगों में भी श्रमिक एवं कार्मिक बुलाये जाने पर भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं । ऐसे में सभी श्रमिक संगठनों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे भी अनुमत श्रेणी के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के काम पर लौटने की अपील करें । यह नियोक्ताओं एवं श्रमिक दोनों के ही हित में है ।

यदि नियोक्ता द्वारा सूचित किये जाने के पश्चात भी श्रमिक निर्धारित समय सीमा तक अपने कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता श्रम कानूनों के अन्तर्गत निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र हैं । इस सन्दर्भ में कोई भी मामला श्रम विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने पर उस पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

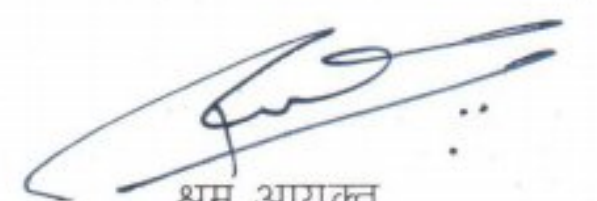
0496-0544
3.5.2020

भवदीय,

(प्रतीक झाड़िया)
श्रम आयुक्त,
जयपुर (राज0) ।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज0) ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर (राज0) ।
4. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त एवं श्रम कल्याण अधिकारीगण, श्रम विभाग, राजस्थान ।
5. सभी अध्यक्ष/महामंत्री एसोसियेशन, राज0, नियोजक संगठन ।
6. अध्यक्ष/महामंत्री, संघ, (श्रमिक संगठन) ।
7. पंजीकृत नियोजक/श्रमिक संगठन, राजस्थान ।
8. गार्ड फ़ाइलवाली ।


श्रम आयुक्त,
जयपुर (राज0) ।